



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180158

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या**

**- 7944 वर्ष 2026**

शिव कुमार उर्फ संपत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : शशि कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अर्जुन सिंह सोलंकी, शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 71**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अर्जुन सिंह सोलंकी, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 136 सन् 2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1), 333, 115(2), 352, 351(3), 117(2), 131 बी.एन.एस., थाना पटियाली, जनपद कासगंज में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। बाद में घायल के बयान में आवेदक को आग्नेयास्त्र का प्रयोग करने तथा घायल ओमवीर पर गोली चलाने की भूमिका दी गई है। घायल ओमवीर को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसे आग्नेयास्त्र से लगी चोट के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक नहीं बताया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त निखिल पुंडीर को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 6328 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें से एक धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत मामला है तथा दूसरा आयुध अधिनियम के अंतर्गत मामला है, जिसके संबंध में कहा गया है कि वह प्रथम मामले में की गई बरामदगी से संबंधित है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है।
4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि सह-अभियुक्त शिवम सक्सेना उर्फ शुभम सक्सेना का अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत मामले सहित उसके आपराधिक पूर्ववृत्तों पर ध्यान देते हुए निरस्त कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक भी धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत पूर्व के एक मामले में संलिप्त है और उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को अपनाया, किंतु आवेदक द्वारा उसके आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
7. आवेदक का मामला सह-अभियुक्त निखिल पुंडीर के मामले के समान स्थिति में है। घायलों को ऐसी कोई चोट नहीं आई है जिसका कारण आग्नेयास्त्र होना बताया जा सके। किसी भी चोट को जीवन के लिए खतरनाक वर्गीकृत नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जो धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत है, तथापि सह-अभियुक्त शिवम सक्सेना उर्फ शुभम सक्सेना का सात मामलों का आपराधिक इतिहास था। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। न्यायालय की राय में आवेदक द्वारा उसके लिए आरोपित आपराधिक कृत्यों को दोहराए जाने की संभावना क्षीण है। आवेदक को फरार नहीं दिखाया गया है।
8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।
9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. आवेदक- **शिव कुमार उर्फ संपत** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-
  - i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;



- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख किया जा सके;
  - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
  - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय